

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश

[rcs.housing@mp.gov.in](mailto:rcs.housing@mp.gov.in)

क्रमांक/गृह निर्माण/2020/ 1523  
प्रति,

भोपाल, दिनांक..... 8-12-2020

1. प्रबंध संचालक,  
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक,  
मर्यादित भोपाल
2. प्रबंध संचालक,  
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ,  
मर्यादित भोपाल
3. संयुक्त आयुक्त,  
सहकारिता,  
समस्त संभाग मध्यप्रदेश
4. उप/सहायक आयुक्त,  
सहकारिता,  
समस्त जिला मध्यप्रदेश
5. मुख्य कार्यपाल अधिकारी,  
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक,  
समस्त जिला मध्यप्रदेश

विषय:- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के संबंध में।

संदर्भ- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/एफ  
6-75/2019/सात/शाखा-3 भोपाल दिनांक 29.10.2020

....0000....

उपरोक्त विषयांगत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

जिसके द्वारा राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासकीय भूमि प्रबंधन एवं आवंटन/हस्तांतरण के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र अंतर्गत नियम/निर्देश को अधिक्रमित करते हुये उनके स्थान पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24.09.2020 से लागू किये गये हैं, उक्त राजपत्र की प्रति राजस्व विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

कृपया वर्तमान में आवंटित भूमि तथा भविष्य में शासकीय भूमि के आवंटन/हस्तांतरण हेतु मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्न-उपरोक्तानुसार

क्रमांक/गृह निर्माण/2020/ 1523  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक..... 8-12-2020

2

समस्त शाखा, मुख्यालय की ओर प्रेषित कर लेख है कि उनके अंतर्गत आने वाली समस्त शीर्ष संस्थाओं को अवगत करावे।  
आई.टी. शाखा, मुख्यालय की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त आयुक्त,  
सहकारिता, मध्यप्रदेश

म

न मध्यप्र

मध्यप्रदेश शासन  
राजस्य विभाग  
मंत्रालय

म

क्रमांक/एफ 6-75/2019/सात/शाखा-3  
प्रति,

मोपाल, दिनांक 08/11/2020

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
समस्त विभाग  
मंत्रालय मोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के संबंध में।

---0---

उपरोक्त विषय के संबंध में शासकीय भूमि के प्रबंधन एवं आवंटन/हस्तांतरण के संबंध में राजस्य पुस्तक परिपत्र अंतर्गत नियम/निर्देश को अधिक्रमित करते हुए उनके स्थान पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020, राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक 24.09.2020 से लागू किये गए हैं तथा राजस्य विभाग की वेबसाइट revenue.mp.gov.in तथा प्रमुख राजस्य आयुक्त की वेबसाइट prc.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अतः आपके विभाग के अधिनस्थ विभागाध्यक्ष/निगम/मण्डलों को वर्तमान में आवंटित भूमि तथा भविष्य में शासकीय भूमि के आवंटन/हस्तांतरण हेतु दिनांक 24.09.2020 से लागू मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार यथोचित कार्यवाही करने के संबंध में सर्वसंबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(जी.व्ही. रश्मि)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्य विभाग

No. 2424. IPS/Coop/20.  
7.11.2020

ISP  
DL  
11/11/20  
[Handwritten signatures and initials]

4-11  
9/11/2020  
SOI/SOI  
[Handwritten notes and signatures]

E 9 NOV 2020

516  
10/11/20

RCS

53

मध्यप्रदेश शासन  
राजस्य विभाग  
[Handwritten notes and signatures]

[Handwritten notes and signatures at the bottom left]

591  
18-11-2020  
[Handwritten notes and signatures at the bottom center]